में,

मुख्य सचिव
झारखण्ड सरकार

य :– सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा कुड़ुख, मुण्डारी इत्यादि के लिए भाषा शिक्षक बहाली का पद सृजन हेतु सर्वे करवाने के संबंध में

शय,

भारत सरकार की नई शिक्षा नीति – 2020 के तहत झारखण्ड के समर कारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा कुड़ुख, मुण्डारी, हो, खड़िया इत्यादि भाषाओं क्षक बहाली प्रक्रिया हेतु पद सृजन के संबंध में सरकार के माध्यम से सर्वे कार्य कि रहा है जो कि उत्तम विषय है।

परन्तु झारखण्ड के राँची जिला समेत कई अन्य जिलें पाँचवी अनुसूचित क्षे अंतगर्त आते है। व इन जिलों में जनजातिय भाषा कुड़ुख, मुण्डारी इत्यादि विलु ने के कगार पर है। इन क्षेत्रों में जनजातिय भाषा को विलुप्त करने में सादरी (नागपु षा की भूमिका मुख्य है। राँची सहित कई जिलों के सरकारी स्कूलों में आदिवासी बच राँव, मुण्डा व अन्य) का नामांकन संख्या 60% से अधिक होने के बाद भी बच्चों द्व पर्क भाषा (क्षेत्रिय भाषा) के रूप में सादरी (नागपुरी) को आधार बना कर कुड़ु डारी के स्थान पर नागपुरी भाषा का पद सृजन करने की प्रक्रिया किया जा रहा में जनजातिय भाषा कुड़ुख, मुण्डारी अन्य भाषा का अन्त हो जाएगा।

अतः महाशय से निवेदन है कि पाँचवी अनुसूचित जिलों में जनजातिय बच ध्यान में रखकर जनजातिय भाषा में कुड़ुख, मुण्डारी इत्यादि के लिए शिक्षकों के सृजित किया जाए। ताकि आने वाले भविष्य में जनजातिय भाषाओं का संरक्षण र्धन हो सके। इस पत्र के माध्यम से यह भी कहना है कि जनजातिय भाषा शिक्षक जन सर्वे में ग्राम सभा की भी सहमती अनिवार्य किया जाए।

धन्यवाद